न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.
अपील संख्या 18/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/19)

1. गिरधारी सिह पुत्र लक्ष्मण सिह जाति राजपूत निवासी जेगनिया बिकान तहसील रतनगढ जिला चूरू।
2. खेमाराम पुत्र तेजाराम सिलू जाति जाट निवासी ग्राम जेगनिया बिदावतान तहसील रतनगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत जेगणिया बीदावतान जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जेगणिया बीदावतान तहसील रतनगढ जिला चूरू।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार रतनगढ जिला चूरू।
3. बीरबलराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जेगणिया बीदावतान तहसील रतनगढ जिला चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री प्रहलाद जांखड़ – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री करणसिह तंवर – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3
4. श्री मनोज ठठेरा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3
5. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 31.01.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 22.02.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी रतनगढ ने ग्राम पंचायत जेगनिया बीदावतान के पंचायत भवन निर्माण हेतु अदालत मातहत के समक्ष खं. नं. 631/385 तादादी 0.5059 हैक्टेयर भूमि आंवटन करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे, परन्तु अदालत मातहत ने इसके विपरित खं. 626/624 तादादी 0.3288 हैक्टेयर व खं. नं. 628/625 तादादी 0.3035 हैक्टेयर कुल 0.6323 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 को आंवटित कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कहा कि उपखण्ड अधिकारी रतनगढ ने ग्राम पंचायत जेगनिया बीदावतान के पंचायत भवन निर्माण हेतु अदालत मातहत के समक्ष खं. नं.631/385 तादादी 0.5059 हैक्टेयर भूमि आंवटन करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे, उक्त भूमि ग्राम पंचायत भवन के लिए उपयुक्त है तथा ग्राम वासियो के लिए सुविधा जनक भी है। ग्राम पंचायत ने आम सभा मे सभी ग्रामीणो की राय लेकर उक्त रकबा रेस्पोडेन्ट सं. 1 को आवंटन करने हेतु प्रस्ताव अदालत मातहत को भेजा था। परन्तु अदालत मातहत ने इसके विपरित खं. 626/624 तादादी 0.3288 हैक्टेयर व खं. नं. 628/625 तादादी 0.3035 हैक्टेयर कुल 0.6323 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 को आंवटित कर दी जो ग्राम पंचायत जेगनिया बीदावतान से काफी दूर ऊचे टिल्ले पर है तथा उक्त रकबा मे से 11 हजार केवी की विधुत लाईन जा रही है। उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत हेतु किसी भी रूप से उपयुक्त नही है। ग्राम जेगनिया बीदावतान तहसील रतनगढ नव सृजित पंचायत बनी है, जिसके भवन निर्माण हेतु बुधरदास पुत्र गुलाबदास स्वामी ने अपनी खातेदारी भूमि वाके ग्राम जेगनिया तहसील रतनगढ के खं. नं. 631/385 तादादी 0.5059 हैक्टेयर भूमि दान दी है, जिसका राजस्व रेकार्ड में भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम से अंकन हो चुका है। उक्त भूमि के पास मन्दिर भी है जहा आवागमन रहता है, बिजली पानी उपलब्ध है तथा सबसे महत्व पूर्ण यह ग्राम के नजदीक एवं सभी के लिए सुविधा जनक है, इसलिए ग्राम की आम सभा मे उक्त भूमि को ही नव सृजित पंचायत भवन के लिए चुना गया था। अदालत मातहत ने ग्राम पंचायत की अनुशंसा के विपरित जाकर जन भावना को ठेस पहुचा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, अपीलान्ट्स को अदालत मातहत ने पक्षकार नही बनाया था जबकि अपीलान्ट्स ग्राम पंचायत के सजक नागरिक है तथा उसके हित भी ग्राम पंचायत एवं नव सृजित भवन से जुड़े हुए है अतः अपीलान्ट को हितबद्व एव प्रभावित पक्षकार मानते हुए तथा अपील जानकारी से अन्दर मियाद स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि ग्राम पंचायत जेगनिया बीदावतान के द्वारा पंचायत भवन निर्माण हेतु

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खं. नं. 631/385 तादादी 0.5059 हैक्टेयर भूमि आंवटन करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे, परन्तु जिला कलक्टर चूरू ने उस खं. नं. 631/385 की भूमि को आवंटन नही कर अन्य खं. नं. 626/624 व 628/625 की भूमि आंवटन कर दी। ग्राम पंचायत जेगनिया बीदावतान के द्वारा जो प्रस्ताव भेजे थे उसी अनुसार उसी खं. नं. 631/385 में भूमि आंवटन की जावे, हमे वही भूमि आंवटन की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट सं. 3 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट की अपील मेन्टेनेबल नही है। अपीलान्ट ने जिला कलक्टर चूरू के द्वारा ग्राम पंचायत जेगणिया बीदावतान के कार्यालय हेतु एव अन्य उद्धेंश्यो के लिए भूमि का आंवटन आदेश दिनांक 22.02.2021 पारित किया गया है उसके खिलाफ अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त भूमि आवंटन के समय राजस्व रिकार्ड में सरकारी भूमि के रूप दर्ज रही है। उक्त भूमि ना तो अपीलान्ट की रही है ना ही अपीलान्ट के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश से अपीलान्ट के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नही होते है। किसी भी आदेश के विरूद्व अपील वही व्यक्ति पेश कर सकता है जो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार रहा हो या उसके हित प्रभावित होते हो। जब आवंटित भूमि अपीलान्ट की नही रही है और ना ही अपीलान्ट के पक्ष में हुआ है ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि बाबत अपीलाधीन आदेश को अपील के माध्यम से चेलेन्ज करने की अपीलान्ट को लोकस स्टेण्डाई नही है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी. सी का व्यक्तिगत नुकसान मे प्रस्तुत होता है, अपीलान्ट द्वारा एक जागरूक व्यक्ति के नाते धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना प्रस्तुत किया है जो स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील को निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2021 जिसके द्वारा दो अलग– अलग खसरे (खसरा नं.626/624 व खसरा नं. 628/625) के संबध में आदेश पारित किया गया है उसके विरूद्व अपीलान्ट ने एक ही अपील पेश की है। लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार दो आदेशो के विरूद्व दो अलग अलग अपील पेश होती है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अतः दो अलग–अलग आदेशो के विरूद्व एक अपील पेश करने पर अपीलान्ट की अपील इसी आधार पर खारिज की जावे।

अपीलान्ट की अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 22.02.2021 के विरूद्व अपीलान्ट ने इस न्यायालय में 20.09.2021 को अपील पेश की है। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद में अंकित किया कि अपीलान्ट्स अदालत मातहत में पक्षकार नही था इसलिए उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 05.09.2021 को ग्राम की आम सभा मिटिग में हुई। जबकी ग्राम सभा की दिनांक 05.09.2021 को कोई मिटिग नही हुई है। जब ग्राम सभा की मिटिग हुई उस समय अपीलान्ट उस मीटिंग में हाजिर थे, वहा झगड़ा हो गया था, अपीलान्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हुआ है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की शुरू से जानकारी थी। अपीलान्ट न्यायालय मे क्लीन हेड से नही आये, जहा क्लीन हेड से नही आते वहा धारा 5 मियाद स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जावें। अतः अपील अपीलान्ट भारी खर्चे 50000/–रूपये के साथ खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RBJ (23) 2016 पेज 379, RBJ 2020 (SC) पेज 569, RRD 1991 पेज 164, RBJ 2007 पेज 438, RBJ 2001 पेज 432, RRD 1992 पेज 364, RBJ 2005 पेज 132, RRD 1971 पेज 266, RBJ 1998 पेज 443–444, RRD 1989 पेज 69, 2022(1) DNJ RAJ पेज 311, RRD 1981 पेज 143, D.B. CIVIL WRIT PETITION NO 6523/2021 (HIGH COURT) निर्णय दिनांक 20.10.21 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

7. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. जबाव प्रार्थना पत्र बहस तथा उपलब्ध रिकॉर्ड पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश के द्वारा ग्राम पंचायत जेगणिया

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बीदावतान को खं. नं. 626/624 तादादी 0.3288 हैक्टेयर आवंटित की गई है तथा खं. नं. 628/625 तादादी 0.3035 हैक्टेयर भूमि अन्य राजकीय कार्यालयो हेतु आरक्षित की गई। उक्त भूमि का आवंटन/आरक्षण उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के प्रस्ताव अनुसार किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत हेतु भूमि आवटन की मांग उक्त भूमि हेतु नही है। अपीलान्ट्स ग्राम पंचायत जेगणिया के निवासी है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 सरपंच ग्राम पंचायत जेगणिया बीदावतान है, जो कि ग्राम पंचायत हेतु भूमि आवटन मे हितबद्व पक्षकार है, रेस्पोडेन्ट सं. 3 को भी पंचायत का निवासी मानते हुए हितबद्व पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। जबकि मूल आदेश उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के प्रस्ताव पर जिला कलक्टर महोदय चूरू द्वारा पारित किये गये है। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी. सी स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट्स चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही थें, इसलिए मियाद के बिन्दू पर प्रार्थना पत्र दफा –5 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा भूमि खं. नं. 626/624 तादादी 0.3288 हैक्टेयर ग्राम पंचायत भवन हेतु आवंटन किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायत की अनापत्ति/सहमति के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी की अनापत्ति ली गई है, जबकि सरपच ग्राम पंचायत जेगणिया बीदावतान द्वारा बतौर रेस्पोडेन्ट सं. 1 इस अपील में ग्राम पंचायत को किये गये आवटन को निरस्त करने का कथन किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 खं. नं. 626/624 तादादी 0.3288 हैक्टेयर जो कि ग्राम पंचायत जेगणिया बीदावतान के पंचायत भवन निर्माण हेतु आवंटन की हद तक अपास्त करते हुए प्रकरण जिला कलक्टर चूरू को प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

9. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर